

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

पत्रांक: निस/प्रशास/चिस्वा/2020

जयपुर, दिनांक : 17.10.2020


संशोधित परिपत्र

होम आइसोलेटेड कोविड-19 मरीजों के संबंध में जारी विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 14.10.20 के बिन्दु संख्या 2 में 10 सर्जिकल मास्क के स्थान पर दो वॉशेबल मास्क संशोधित कर पढ़ा जावे। शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।


(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
7. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज. जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
9. समस्त प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संबद्ध चिकित्सालय, राज0।
10. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जौन राज.।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.।
14. जन संपर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर
15. निजी/रक्षित पत्रावली।


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव